2010:CGHC:11437-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

गणपूर्ती :- माननीय श्री टी. पी. शर्मा एवं

माननीय श्री एन. के. अग्रवाल, न्यायाधीशगण

दांडिक अपील क्रमांक : 939/2003

श्यामबली

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक : 322/2003

रमेश चंद्र जांगड़े

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

विचारार्थ निर्णय

हस्ताक्षरित/-

टी. पी. शर्मा

न्यायाधीश

मै सहमत हूँ

हस्ताक्षरित/-

एन.के.अग्रवाल

न्यायाधीश

दिनांक:

17/03/2010

निर्णय हेतु प्रस्तुत
करें

दिनांक:
18/03/2010

हस्ताक्षरित
टी.पी.शर्मा
न्यायाधीश
दिनांक:
18/03/2010

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
युगल पीठ

गणपूर्ती :- माननीय श्री टी. पी. शर्मा एवं
माननीय श्री एन. के. अग्रवाल, न्यायाधीशगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दांडिक अपील क्रमांक 939 / 2003

अपीलार्थी (जेल में)	श्यामबली पिता बंशीलाल हरिजन, उम्र 23 वर्ष, निवासी - कैंप नंबर -1, स्टील नगर, भिलाई -पुलिस थाना -छावनी, तहसील व जिला दुर्ग (छ०ग०)
	विरुद्ध
उत्तरवादीगण / प्रत्यर्थी	छत्तीसगढ राज्य द्वारा पुलिस थाना छावनी, जिला दुर्ग (छ०ग०)

(दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता)

एवं

दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक 322 / 2003

पुनरीक्षणकर्ता :- रमेश चन्द्र जांगडे पिता लक्षमण जांगडे
उम्र लगभग 38 वर्ष निवासी - वृन्दा नगर,
मंदिर कैंप-1 के पीछे, भिलाई ।

उत्तरवादीगण/ प्रत्यर्थीगण 1.छत्तीसगढ राज्य
2. रूचित कुमार उर्फ सुजीत पिता बाबूराम प्रसाद पसवार
उम्र लगभग 24 वर्ष
निवासी :- शर्मा कालोनी, कैंप-2, नंदिनीरोड पुलिस थाना छावनी,
जिला दुर्ग (छ०ग०)
3.चिन्ना उर्फ़ रूकमन राव उर्फ़ रकमंग
पिता एम आदि नारायण , जाति -तेलुगू राजपूत
क्षत्रीय उम्र -34 वर्ष कैंप-1 , पुलिस थाना जिला दुर्ग छ०ग०

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. यशवंत कुमार पिता ललित निर्मलकर (धोबी) उम्र -22 वर्ष, निवासी :-जवाहर नगर क्वार्टर नंबर एल.आई.सी 2-21/14 , वैशाली नगर कॉलेज के पीछे पुलिस थाना - जामुल जिला दुर्ग (छ०ग०)
5. सतीश कुमार पिता सहदेव भारती उम्र 24 वर्ष निवासी कैंप-1, वृन्दा नगर, पुलिस थाना - छतौनी जिला दुर्ग छ०ग०

(दांडिक पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 397 (1) सहपठित धारा 401 (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

उपस्थित :- अपीलार्थी की ओर से श्री राज कुमार गुप्ता सहित श्री जितेन्द्र गुप्ता
अधिवक्ता दांडिक अपील क्रमांक 939/2003

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से श्री उत्तम पाण्डेय अधिवक्ता दांडिक पुनरीक्षण

क्रमांक 322/2003 , एवं आपत्तिकर्ता दांडिक अपील क्रमांक 939/2003

शासन की ओर से दोनो प्रकरणो में श्री राकेश कुमार झा अतिरिक्त लोक अभियोजक

श्री एन.एस. धुरंधर , दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक 322/2003 में अनावेदक

क्रमांक -2 से 5 की ओर से अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(18 मार्च 2010 को घोषित)

न्यायालय का निर्णय टी.पी.शर्मा, न्यायाधीश द्वारा उदघोषित किया गया।

1. दांडिक अपील क्रमांक 939 / 2003, जिसे अभियुक्त श्यामबाली द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 132/2002 में दिनांक 13.6.2003 को अष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट), दुर्ग द्वारा पारित भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत उनकी दोषसिद्धि एवं दंडादेश के विरुद्ध दायर किया गया है, तथा उपर्युक्त निर्णय द्वारा सह-अभियुक्तगण सुचित कुमार, चिन्ना, यशवंत कुमार और सतीश के दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध दायर दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक 322 वर्ष 2003,– दोनों का निपटारा इस समान निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

2. दांडिक अपील क्रमांक 939 / 2003 दायर करके, अपीलार्थी श्यामबली ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 307 के अंतर्गत अपनी दोषसिद्धि तथा क्रमशः आजीवन कारावास और सात वर्ष के सक्षम कारावास की सज़ा जो अष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट), दुर्ग द्वारा पारित की गई है, को चुनौती दी है।दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक 322 / 2003 दायर

कर, आवेदक रमेश चंद्र जांगड़े ने उक्त आरोपों से अनावेदक क्रमांक 2 से 5 को दी गई दोषमुक्ति को चुनौती दी है।

3. अभियोजन का संक्षिप्त कथन इस प्रकार है कि 27.12.2001 की दुर्भाग्यपूर्ण संध्या को लगभग 7 से 7.30 बजे के मध्य, मृतक सुरेश भगत, जो वार्ड-कैम्प क्रमांक 1, वृंदा नगर, भिलाई के पार्षद थे, अपने कार्यालय में अन्य व्यक्तियों के साथ बैठे हुए थे। वैमनस्य के कारण, वर्तमान अपीलार्थी श्यामबली तथा अन्य सह-अभियुक्त सुचित, चिन्ना उर्फ़ रूकमन, यशवंत और सतीश, पार्षद सुरेश के कार्यालय में आए। उनके हाथों में तलवार, लाठी, रॉड तथा देशी पिस्तौल थी, और उन्होंने सुरेश पर गोली चलाई। राजेन्द्र प्रसाद (अभि.साक्षी-7), जो उस समय कार्यालय के अंदर उपस्थित थे, ज़मीन पर गिर पड़े। इसके बाद आरोपियों ने उन पर भी हमला किया, जिससे वे बेहोश हो गए। होश में आने के बाद, अन्य लोगों ने उन्हें उपचार हेतु अस्पताल पहुँचाया। सुरेश की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। राजेन्द्र प्रसाद (अभि.साक्षी -7) ने देहाती मर्ग सूचना प्रदर्श -पी/8 तथा देहाती नलिशी प्रदर्श -पी/9 के रूप में दर्ज कराई। प्रदर्श-पी/8 और प्रदर्श -पी/9 के आधार पर एफ.आई.आर. प्रदर्श-पी/10 के रूप में दर्ज की गई तथा मर्ग सूचना प्रदर्श-पी/11 के रूप में लेखबद्ध की गई। राजेन्द्र प्रसाद को प्रारम्भिक चिकित्सकीय परीक्षण हेतु जिला अस्पताल, दुर्ग भेजा गया। अन्वेषण अधिकारी घटना-स्थल की ओर गए और प्रदर्श -पी/28 के माध्यम से गवाहों को आहूत करने के पश्चात, मृतक सुरेश के शव का पंचनामा /मृत्यु समीक्षा प्रदर्श-पी/29 के रूप में तैयार किया गया। मृतक के शव को जिला अस्पताल, दुर्ग, में शव -विच्छेदन हेतु भेजा गया। शव -विच्छेदन डॉ. धीरन शिंदे (अभि. साक्षी -11) द्वारा प्रदर्श-पी/37 के अनुसार किया गया, जिसमें निम्नलिखित चोटें मृतक के शरीर पर पाई गईं:-

i) चेहरे के दाहिने भाग पर 14 से.मी. × 2 से.मी. × अस्थि-गहराई तक का एक चीरा घाव।

ii) दाहिनी टेम्पोरल (एहिक) क्षेत्र में 16 से.मी. × 7 से.मी. का चीरा घाव, जिसके नीचे स्थित हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया। घाव से मस्तिष्क पदार्थ बाहर निकला हुआ था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

iii) दाहिनी पैराइटल क्षेत्र में 20 से.मी. × 3 से.मी. का चीरा घाव, जिससे मस्तिष्क पदार्थ बाहर निकला हुआ था।

iv) पैराइटल-ऑक्सिपिटल क्षेत्र में 17 से.मी. × 4 से.मी. का चीरा घाव, जिससे मस्तिष्क पदार्थ बाहर निकला हुआ था।

v) ऑक्सिपिटल क्षेत्र में 'U' आकार का 20 से.मी. × 10 से.मी. का चीरा घाव, जिसमें से मस्तिष्क पदार्थ बाहर आ रहा था।

vi) स्कैपुलर क्षेत्र में 10 से.मी. × 6 से.मी. × मांसपेशी-गहराई तक का चीरा घाव।

vii) स्कैपुलर क्षेत्र में 5 से.मी. × 1 से.मी. × मांसपेशी-गहराई तक का चीरा घाव।

viii) गर्दन के दाहिने भाग में 4 से.मी. × 2 से.मी. × मांसपेशी-गहराई तक का चीरा घाव।

ix) छाती में 1.5 से.मी. × 1.5 से.मी. का चीरा घाव, जो पेट की गहराई तक पहुँचता था।

x) दाहिनी निप्पल पर 3 से.मी. × 1 से.मी. का चीरा घाव, जो थोरैसिक गहराई तक पहुँचता था।

xi) दाहिने हाथ का हथेली के स्तर पर विच्छेदन (अम्प्यूटेशन)।

xii) दाएँ और बाएँ कोहनी जोड़ पर 2 से.मी. × 2 से.मी. के घर्षण घाव।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसके अतिरिक्त, टेम्पोरल और ऑक्सिपिटल अस्थियाँ टूटी हुई पाई गईं तथा हृदय के दाहिने वेंट्रिकल में छेद पाया गया। पेट पर घाव पाया गया और पेट रक्त से भरा हुआ था। दाहिने लिवर में भी विदारण (रप्चर) पाया गया।

चोटें मृत्यू पूर्व की थीं। मृत्यु का कारण **शॉक** पाया गया। घटनास्थल से रक्तरंजित एवं साधारण मिट्टी को प्रदर्श-पी/1 के अनुसार जब्त किया गया। रक्त से सना टेलीफ़ोन ऑपरेटस प्रदर्श पी/2 के अनुसार घटनास्थल से जब्त किया गया। एक लाठी तथा रक्तरंजित चप्पल की एक जोड़ी एक्स-पी/3 के अनुसार घटनास्थल से जप्त की गई। घायल राजेन्द्र प्रसाद को चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा गया। उनका परीक्षण डॉ. वी. के. अग्रवाल (पीडब्ल्यू-13) द्वारा एक्स-पी/42 के अनुसार किया गया, जिसमें निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

i) दाहिनी स्कैल्प पर 6 से.मी. × 2 से.मी. × अस्थि-गहराई तक का चीरा घाव।

ii) फ्रंटल क्षेत्र में 2 से.मी. × 2 से.मी. का चीरा घाव।

iii) दाहिनी स्कैल्प पर 2 से.मी. × 1 से.मी. का चीरा घाव।

राजेन्द्र को सेक्टर-9 अस्पताल, भिलाई, के लिए भेजा गया। डॉ. राजीव कुमार (अभि-साक्षी -4) ने प्रदर्श -पी/7 के अनुसार राजेन्द्र का सीटी स्कैन किया, जिसमें मस्तिष्क के बाएँ फ़्रंटल लोब में रक्तस्राव तथा फ़्रंटल अस्थि में फ्रैक्चर पाई गई। अन्वेषण के दौरान, आरोपी सुचित कुमार को 28.12.2001 को अभिरक्षा में लिया गया। उसने नाई के उस्तरे (बार्बर नाइफ) के संबंध में प्रदर्श -पी/13 के अनुसार प्रकटीकरण बयान दिया, और उसके कहने पर उक्त उस्तरा उसके कब्जे से प्रदर्श -पी/18 के अनुसार जब्त किया गया। आरोपी चिन्ना को भी 28.12.2001 को अभिरक्षा में लिया गया। उसने देशी पिस्तौल के संबंध में प्रदर्श -पी/14 के अनुसार प्रकटीकरण बयान दिया। उसकी निशानदेही पर एक जर्जर (खस्ताहाल) मकान से देशी पिस्तौल को चिन्ना के कब्जे से प्रदर्श -पी/19 के अनुसार जप्त किया गया। आरोपी श्यामबाली को भी 28.12.2001 को अभिरक्षा में लिया गया। उसने तलवार के संबंध में प्रदर्श -पी/15 के अनुसार खुलासा बयान दिया। उसने तलवार टेलहा नाला के पास स्थित घर से निकालकर प्रस्तुत की, जिसे प्रदर्श -पी/20 के अनुसार जब्त किया गया। आरोपी यशवंत को 28.12.2001 को अभिरक्षा में लिया गया। उसने लोहे की रॉड के संबंध में प्रदर्श-पी/16 के अनुसार प्रकटीकरण बयान दिया। उसने उसे उस स्थान से निकालकर प्रस्तुत किया जहाँ वह छिपाई गई थी, और उसे प्रकटीकरण बयान -पी/21 के अनुसार जब्त किया गया। आरोपी सतीश को 28.12.2001 को अभिरक्षा में लिया गया। उसने लाठी के संबंध में प्रदर्श-पी/17 के अनुसार प्रकटीकरण **बयान दिया** आरोपी सुचित, चिन्ना, अपीलार्थी श्यामबली, तथा आरोपी यशवंत और सतीश के रक्तरंजित कपड़े प्रदर्श-पी/22 से प्रदर्श-पी/26 के अनुसार जब्त किए गए। मृतक के पोस्टमॉर्टम के उपरांत सीलबंद कपड़ों को प्रदर्श -पी/27 के अनुसार जब्त किया गया। आरोपियों को प्रदर्श -पी/32 से प्रदर्श-पी/34 के अनुसार गिरफ्तार किया गया।

जब्त शुदा वस्तुओं का परीक्षण डॉक्टर द्वारा प्रदर्श -पी/38 से प्रदर्श -पी/41 के अनुसार किया गया। जब्त वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु प्रदर्श -पी/43 के अनुसार भेजा गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आरोपी चिन्ना के संबंध में आयुध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति जिला दंडाधिकारी, दुर्ग द्वारा प्रदर्श -पी/6 के अनुसार प्रदान की गई। घटनास्थल का नक्शा पटवारी द्वारा प्रदर्श-पी/5 के अनुसार तैयार किया गया।

4. गवाहों के बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 161 के अंतर्गत किए गए। अन्वेषण पूर्ण होने पर, अभियोग-पत्र अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से प्रकरण सत्र न्यायालय, दुर्ग को उपार्पित किया गया। जहॉ से यह प्रकरण विचारण हेतु स्थानांतरण पर अष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को प्राप्त हुआ ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. आरोपी/अपीलार्थियो का अपराध सिद्ध करने हेतु अभियोजन ने कुल 15 गवाहों का परीक्षण किया। आरोपी/अपीलकर्ताओं के बयान संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने उनके विरुद्ध प्रकट हुई परिस्थितियों से इंकार किया तथा स्वयं को निर्दोष बताते हुए प्रश्नाधीन अपराध में झूठा फॅसाये जाने का दावा किया।

6. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत, अष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सह-अभियुक्त सुचित, चिन्ना, यशवंत और सतीश को दोषमुक्त करते हुए, अपीलार्थी श्यामबली को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 307 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया तथा उसे उपर्युक्तानुसार दंडित किया।

7. हमने दांडिक अपील क्रमांक 939/2003 में अपीलार्थी श्यामबली की ओर से श्री आर.के. गुप्ता एवं श्री जितेन्द्र गुप्ता, अधिवक्ता दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक 322/2003 में अपीलार्थी की ओर से उपस्थित श्री उत्तम पांडेय, राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री आशीष शुक्ला तथा दोषमुक्त किए गए सह-अभियुक्तों की ओर से उपस्थित श्री एन.एस. धुरंधर के तर्कों को सुना। हमने चुनौती दिए गए आक्षेपित निर्णय तथा विचारण न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन भी किया।

8. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि वर्तमान प्रकरण मुख्यतः राजेन्द्र प्रसाद (अभि-साक्षी -7) के साक्ष्य पर आधारित है, जिन्होंने स्वयं को चक्षुदर्शी बताते हुए देहाती नलिशी प्रदर्श -पी/9 दर्ज कराई थी। उनका साक्ष्य विश्वास उत्पन्न नहीं करता। उनका आचरण स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। उन्होंने उसी दिन 1½ घंटे के भीतर देहाती मर्ग सूचना प्रदर्श -पी/8 तथा देहाती नलिशी प्रदर्श -पी/9 दर्ज कराई, जिनमें उन्होंने यह तथ्य नहीं लिखा कि अपीलार्थियों के हाथ में तलवार, रॉड, लाठी और नाई का उस्तरा था तथा उन्हीं हथियारों से उन्होंने सुरेश को चोट पहुँचाई **थी।** देहाती नलिशी प्रदर्श -पी/9 के अनुसार, आरोपियों द्वारा देशी पिस्तौल से फायर किए जाने का उल्लेख है, परंतु अभियोजन ने ऐसा कोई सामग्री संकलित नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो सके कि किसी भी अपीलार्थी ने देशी पिस्तौल का प्रयोग किया था।उन्होंने देहाती नलिशी प्रदर्श -पी/9 में यह भी नहीं बताया कि देशी पिस्तौल के अतिरिक्त किसी अन्य हथियार से किसी भी आरोपी ने सुरेश को कोई चोट पहुँचाई थी। अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने यह भी प्रबल रूप से प्रतिपादित किया कि देहाती नलिशी प्रदर्श -पी/9 से यह तो पता चलता है कि अपीलार्थियों ने सुरेश के सिर पर चोट पहुँचाई, परंतु राजेन्द्र प्रसाद (अभि-साक्षी-7) स्वयं गिर पड़े थे और ऐसी स्थिति में नहीं थे कि वे यह बता सकें कि उन्हें चोट किसने पहुँचाई और किस हथियार से पहुँचाई। परंतु इस गवाह के कहने पर ही देहाती नलिशी एक्स-पी/9 के दर्ज होने से मात्र 10 मिनट पूर्व, रात्रि 20.50 बजे *मर्ग* प्रदर्श -पी/8 दर्ज की गई, जिसमें यह उल्लेख है कि अपीलार्थियों के हाथ में देशी पिस्तौल, तलवार तथा रॉड थी और उन्होंने उन्हीं हथियारों से सुरेश पर हमला कर उसकी मृत्यु कारित की। मर्ग प्रदर्श-पी/8 में राजेन्द्र प्रसाद (पीडब्ल्यू-7) ने यह नहीं बताया कि आरोपियों ने देशी पिस्तौल से फायर किया था, यद्यपि सामान्यतः *मर्ग सूचना* केवल किसी व्यक्ति की असामान्य मृत्यु के संबंध में दी जाती है और उसमें घटना का विस्तृत विवरण देना अपेक्षित नहीं होता, जबकि *एफ.आई.आर.* में घटना का विवरण देना आवश्यक होता है ताकि आपराधिक कानून की प्रक्रिया प्रारंभ हो **सके।** प्रदर्श P/8 एवं P/9 के बीच केवल 10 मिनट के अंतराल में दर्ज की गई सामग्रीगत विरोधाभासों से अभियोजन कथा तथा दोनों दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह प्रकरण प्रतिद्वन्दी समूहों के बीच वैमनस्य के कारण हुई हत्या का है। अतः न्यायालय को साक्ष्य की जाँच सूक्षम परीक्षण और गहन परीक्षण की कसौटी से करनी चाहिए। अपीलार्थी के पक्ष के प्रबल तर्कानुसार, केवल 10 मिनट के भीतर दर्ज दो दस्तावेजों के बीच के प्रबल और सामग्रीगत विरोधाभास पूरे अभियोजन के साक्ष्य को खारिज करने के लिए पर्याप्त हैं। अपीलार्थी ने यह भी तर्क किया कि राजेन्द्र प्रसाद (अभि साक्षी-7) के साक्ष्य में विरोधाभास, लोप और अतिशयोक्ति की भरमार है तथा स्वार्थपरता एवं वैमनस्य के कारण उसका साक्ष्य विश्वास उत्पन्न नहीं करता। अन्य गवाहों के साक्ष्य केवल संपोषक स्वभाव के हैं और जब सारभूत साक्ष्य अनुपस्थित हों तो संपोषक साक्ष्य का महत्व कम हो जाता है।

9. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने चौधरी पुला रेडडी एवं अन्य बनाम आ.प्र. **राज्य**[1] में विनिर्दिष्ट सिद्धांत का अवलंब लिया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि अभियोजन को अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करना आवश्यक है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कल्याण एवं अन्य बनाम उ.प्र. **राज्य**[2] का भी अवलंब लिया, जिसमें उच चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया है कि एफ.आई.आर. और न्यायालय में दिए गए बयान के बीच अंतर, तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य के मध्य टकराव, साथ ही चक्षुदर्शियों के बयानों में महत्वपूर्ण सुधार अभियोजन के प्रकरण पर गंभीर संदेह उत्पन्न करते हैं और आरोपी को दोषमुक्त किए जाने का अधिकार प्राप्त होता है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आत्माराम जिंगराजी बनाम *महाराष्ट्र* ***राज्य***[3] पर भी अवलंब व्यक्त किया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जब समान साक्ष्य के आधार पर नौ में से आठ व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया गया हो, तो शेष अंतिम व्यक्ति भी दोषमुक्त किए जाने का अधिकारी होता है।अपीलार्थी के अधिवक्ता ने हरियाणा राज्य बनाम इंदर सिंह एवं **अन्य**[4] के प्रकरण का भी अवलंब लिया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि एकमात्र साक्षी के आधार पर दोषसिद्धि की जा रही हो, तो उसके साक्ष्य को ऐसा होना चाहिए कि वह पूर्ण विश्वास उत्पन्न करे और न्यायालय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] 1993 CRI.L.J 2246
[2] AIR 2001 SC 3976

[3] 1997 CRI.L.J 4406
[4] 2002(2) Crimes 164 (SC)

के मन में कोई संदेह न छोड़े। यदि ऐसे साक्ष्य से दो दृष्टिकोण संभव हों, तो अभियुक्त के अनुकूल दृष्टिकोण को ही स्वीकार किया जाना चाहिए।

10. दूसरी ओर, राज्य के अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया कि दोषसिद्धि निष्कर्षात्मक, विश्वसनीय एवं विधिसंगत साक्ष्य पर आधारित है, विशेषकर राजेन्द्र प्रसाद (अभि साक्षी पी-7) के साक्ष्य पर, जो घटना के समय उपस्थित थे तथा जिनके साक्ष्य को अन्य गवाहों के साक्ष्य द्वारा समुचित रूप से पुष्ट किया गया है।

11. दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक 322/2003 में पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि जिस साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी श्यामबली को दोषसिद्ध किया गया है, उसी साक्ष्य के आधार पर सह-अभियुक्तगण – सुचित कुमार उर्फ़ सुजीत, चिन्ना उर्फ़ रिकमन, यशवंत कुमार एवं सतीश कुमार को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सह-अभियुक्तों, अर्थात वर्तमान अनावेदक क्रमांक 2 से 5, की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त था, किंतु अधिनस्थ न्यायालय ने अनावेदक क्रमांक 2 से 5 को दोषमुक्त कर अवैधता की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. विद्वान् अधिवक्ता ने *बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह उर्फ बी.पी. सिंह एवं अन्य बनाम राज्य बिहार* ***(अब झारखण्ड)*** *एवं अन्य*[5] **के प्रकरण** का अवलंब लिया है , जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि यदि कोई *स्पष्ट अवैधता, विकृति अथवा न्याय का गंभीर हनन* न हो, तो उच्च न्यायालय केवल इस आधार पर कि उसने साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन कर अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही को विश्वसनीय पाया है, जबकि विचारण न्यायालय ने विपरीत दृष्टिकोण अपनाया था, अभियुक्तों के *समानांतर रूप से प्राप्त दोषमुक्त होने के निष्कर्ष* में हस्तक्षेप करने के लिए उचित नहीं ठहराया जा सकता।

13. दूसरी ओर, अनावेदक क्रमांक 2 से 5 के अधिवक्ता ने अभियुक्तों के दोषमुक्त किए जाने संबंधी निर्णय का समर्थन किया और यह तर्क किया कि वर्तमान पुनरीक्षक को आपराधिक पुनरीक्षण दायर करने पर सुने जाने का अधिकार नहीं है। अनावेदक क्रमांक 02 से 05 को दोषमुक्त करते समय

[5] (2002) 6 SCC 650

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो कोई प्रत्यक्ष अवैधता की गई है और न ही उसके निष्कर्ष किसी ऐसी विकृति से प्रभावित हैं, जो दांडिक पुनरीक्षण के क्षेत्राधिकार के हस्तक्षेप को औचित्य प्रदान करें।"

14. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है। वर्तमान वाद में यह तथ्य निर्विवाद है कि मृतक सुरेश की मृत्यु *पूर्व-घटित घातक चोटों* के परिणामस्वरूप हुई, जो *मानववध* थी। इसी प्रकार, घायल राजेन्द्र प्रसाद को भी गंभीर चोटें पहुँचीं। अपीलार्थी एवं अनावेदक क्रमांक 2 से 5 द्वारा इस तथ्य का कोई ठोस प्रतिवाद नहीं किया गया है। डॉ. धीरज शिंदे (अभि.साक्षी क्रमांक -11) की गवाही तथा *शव-विच्छेदन रिपोर्ट* (प्रदर्श-पी/37) से यह स्पष्ट होता है कि मृतक सुरेश के शरीर पर कुल 12 घातक चोटें पाई गईं, जो उसकी मृत्यु हेतु पर्याप्त थीं और मृत्यु प्रकृति में मानववध थी। इसी प्रकार राजीव कुमार पाल (अभि.साक्षी.-4) की गवाही, *चिकित्सीय रिपोर्ट* (प्रदर्श-पी/7), डॉ. बी.के. अग्रवाल (अभि.साक्षी.-13) की गवाही तथा *चोट रिपोर्ट* (प्रदर्श-पी/42) से यह तथ्य सिद्ध होता है कि राजेन्द्र प्रसाद (अभि.साक्षी.-7) के सिर पर *काटने वाली चोटें* पाई गईं, जिनमें *खोपड़ी की हड्डी का फ्रैक्चर* भी सम्मिलित था। इससे यह निष्कर्ष निर्विवाद रूप से स्थापित होता है कि राजेन्द्र प्रसाद को भी *घातक चोटें* पहुँचाई गई थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. मनीष कुमार (अभि.साक्षी-10) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि घटना के समय उसने आवाज सुनी और जब वह होटल से बाहर आया तो देखा कि अपीलार्थी श्यामबली, अभियुक्त सुचित, यशवंत, चिन्ना और सतीश सुरेश के कार्यालय में गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे थे। वह वहाँ से भाग गया। सुरेश का रक्तरंजित शव उसके कार्यालय में पड़ा हुआ था। राजेन्द्र प्रसाद भी गंभीर रूप से घायल था, जिसे वह थाना छावनी और अस्पताल लेकर गया। अभियोजन ने राजेन्द्र प्रसाद (अभि.साक्षी-7) का परीक्षण किया, जिसने अपने साक्ष्य में कहा कि वह सुरेश के कार्यालय में दयाशंकर, रमेशचन्द्र जांगड़े (अभि.साक्षी-1) और रोहित के साथ उपस्थित था तथा वे राशन कार्ड के विषय में चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक अभियुक्त चिन्ना, श्यामबली, सुचित, सतीश और यशवंत कार्यालय में घुस आए। चिन्ना ने देशी पिस्तौल से गोली चलाई, श्यामबली के हाथ में तलवार थी, सुचित के हाथ में नाई का

चाकू था। उन्होंने सुरेश पर हमला किया। उसने सुरेश को बचाने का प्रयास किया, किन्तु अपीलार्थियो ने उसे पकड़ लिया और उस पर भी हमला किया, जिससे वह गिर पड़ा और बेहोश हो ग**या। जब** वह होश में आया, उस समय वह अस्पताल में था। बचाव पक्ष ने इस साक्षी का विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया। इस साक्षी के कथन पर दर्ज *मग* सूचना (प्रदर्श .पी/8) तथा *देहाती नलिशी* (प्रदर्श पी /9) में विरोधाभास एवं **लोप** पाई गईं। *मग* सूचना प्रदर्श पी /8 रात्रि 20.50 बजे दर्ज की गई, जिसमें सभी अपीलकर्ताओं की भागीदारी का उल्लेख है, किन्तु प्रदर्श.पी /9, जो प्रदर्श पी /8 के 10 मिनट बाद दर्ज की गई, उसमें सभी अभियुक्तों की भागीदारी का उल्लेख नहीं है, बल्कि यह दर्शाया गया है कि सभी अभियुक्त उपस्थित थे तथा अभियुक्त सुचित देशी पिस्तौल लिए हुए था और उसने 3 से 4 बार फायर कि**या।** प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने *मग* सूचना प्रदर्श पी /8 तथा *देहाती नलिशी* प्रदर्श पी /9 और न्यायालय में दर्ज अपने कथन में पाई गई **लोपों** एवं विरोधाभासों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। उसने विशेष रूप से रमेश जांगड़े की उपस्थिति को स्वीकार किया। बचाव पक्ष ने रमेशचन्द्र जांगड़े (अभि. साक्षी -1) का प्रतिपरीक्षण किया। विस्तृत प्रतिपरीक्षण में उसने विशेष रूप से यह कहा कि वह घटना के समय उपस्थित था और अपीलार्थी तथा सह-अभियुक्तों ने उसके सामने सुरेश पर हमला किया। उसके साक्ष्य की पुष्टि दयाशंकर (अभि. साक्षी-12) के साक्ष्य से होती है, जो उस समय सुरेश के कार्यालय के भीतर उप**स्थित था। उ**प निरीक्षक वी.पी. बंजारे (अभि-5) ने अपने साक्ष्य में कहा कि उसने *मग* सूचना प्रदर्श पी/8 तथा *देहाती नलिशी* प्रदर्श पी /9 दर्ज की है। यद्यपि रमेशचन्द्र जांगड़े (अभि-1), राजेन्द्र प्रसाद (अभि-7), दयाशंकर के साक्ष्य और चिकित्सकीय साक्ष्य के बीच महत्वपूर्ण विरोधाभास पाए गए हैं। चोटों के संबंध में कुछ विसंगतियाँ हैं, किन्तु लाठी, रॉड, नाई का चाकू और आग्नेयास्त्र से हुई चोटों के संबंध में पूर्ण विरोधाभास है। जब चोटों के संबंध में चक्षुदर्शी साक्षी और चिकित्सकीय साक्ष्य के बीच पूर्ण विरोधाभास हो, तब चिकित्सकीय साक्ष्य को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए और शत्रुता एवं प्रतिद्वंदिता की स्थिति में चिकित्सकीय साक्ष्य को ही प्रधानता प्राप्त होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16.अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, माननीय अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त सुचित कुमार उर्फ़ सुजीत, चिन्ना उर्फ़ रुक्मन, यशवंत कुमार तथा सतीश कुमार को दोषमुक्त कर दिया है। माननीय अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उपर्युक्त चारों अभियुक्तों को आरोप से विधिवत रूप से दोषमुक्त किया है क्योंकि उनके विरुद्ध कोई विश्वसनीय एवं निर्णायक साक्ष्य उपलब्ध नहीं था।

17.अपीलार्थी श्यामबली के दोषसिद्धि के संबंध में, उपर्युक्त चक्षुदर्शी साक्षियों अर्थात् रमेशचन्द्र जांगड़े (अभि साक्षी-1) एवं राजेन्द्र प्रसाद (अभि साक्षी-7) के साक्ष्य के अनुसार, अपीलकर्ता श्यामबली के हाथ में तलवार थी और उसने उसी हथियार से सुरेश को चोट पहुँचाई। चक्षुदर्शी साक्षी एवं चिकित्सकीय साक्ष्य के आधार पर माननीय अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता श्यामबली को दोषसिद्ध कर दंडित किया है। यद्यपि रमेशचन्द्र जांगड़े (अभि साक्षी-1), राजेन्द्र प्रसाद (अभि साक्षी-7), *मग* प्रदर्श पी /8 तथा *देहाती नलिशी* प्रदर्श पी /9 के साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभास, लोप एवं अतिशयोक्तियाँ पाई जाती हैं, तथापि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह असत्य से सत्य को पृथक करने का प्रयास करे, किन्तु यह तभी संभव है जब असत्य से सत्य पृथक किया जा सके। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी श्यामबली को सुरेश की हत्या करने के अपराध हेतु भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18.जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने *बिंदेश्वरी* (पूर्वोक्त) के प्रकरण में कहा है, यदि प्रत्यक्ष अवैधता, विकृति अथवा न्याय का गंभीर हनन न हो, तो आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करना संभव नहीं होगा।

19.वर्तमान प्रकरण में, पुनरीक्षणकतार्क पूर्णतः असफल रहा है कि वह आक्षेपित निर्णय में किसी प्रकार की अवैधता अथवा विकृति को प्रदर्शित कर सके। अभियोजन पक्ष भी अभियुक्त/ अनावेदक क्रमांक 2 से 5 अर्थात् सुचित कुमार उर्फ़ सुजीत, चिन्ना उर्फ़ रुक्मन, यशवंत कुमार एवं सतीश कुमार के विरुद्ध कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है। केवल पुनरीक्षण याचिका दायर कर देने मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में प्रत्यक्ष अवैधता अथवा विकृति की है।

20.जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने *चौधरी पुल्ला रेड्डी* (पूर्वोक्त) के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है, यदि ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध न हो, तो अभियुक्तों को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी श्यामबली के विरुद्ध साक्ष्य ठोस और विश्वसनीय हैं। यद्यपि उपर्युक्त साक्षियों के कथन अभियुक्त सुचित कुमार उर्फ़ सुजीत, चिन्ना उर्फ़ रुक्मन, यशवंत कुमार एवं सतीश कुमार को दोषसिद्ध करने हेतु पर्याप्त नहीं हैं, किन्तु वही साक्ष्य अपीलार्थी श्यामबली को दोषसिद्ध करने हेतु पर्याप्त हैं और चिकित्सकीय साक्ष्य से भली-भाँति पुष्ट होते हैं। अतः *चौधरी पुल्ला रेड्डी* (उपर्युक्त) का प्रकरण वर्तमान प्रकरण से भिन्न एवं पृथक है।

21.जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने *स्टेट ऑफ़ हरियाणा* (पूर्वोक्त) के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है, वर्तमान प्रकरण में दो दृष्टिकोण संभव नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22.जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *कल्याण* (पूर्वोक्त) के प्रकरण में कहा है, चक्षुदर्शी साक्षियों के कथनों में बड़े सुधारों के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया था। वर्तमान प्रकरण साक्षियों के कथनों में कुछ विरोधाभास एवं सुधार पाए जाते हैं, किन्तु वे अन्य सह-अभियुक्तों से संबंधित हैं, अपीलार्थी श्यामबली से नहीं। अतः *कल्याण* (पूर्वोक्त) का प्रकरण वर्तमान प्रकरण से भिन्न है।

23.अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात्, माननीय अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अन्य सह-अभियुक्त/अनावेदक क्रमांक 2 से 5 को दोषमुक्त करते हुए अपीलार्थी श्यामबली को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर दंडित किया है। उपर्युक्त दोषसिद्धि विधि सम्मत है और अनावेदक क्रमांक 2 से 5 के विरुद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण उनकी दोषसिद्धि संभव नहीं है। फलस्वरूप, पुनरीक्षणकर्ता की ओर से दायर *दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक 322/2003* खारिज की जाती है।

24.अपीलार्थी श्यामबली की भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत दोषसिद्धि के संबंध में, घायल साक्षी राजेन्द्र प्रसाद (अभि साक्षी-7) ने विशेष

रूप से यह कहा है कि जब उसने सुरेश को बचाने का प्रयास किया, तब अभियुक्त चिन्ना, सतीश और यशवंत ने उसे पकड़ लिया। उसके साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि उस पर हमला चिन्ना, सतीश और यशवंत ने किया था। उसने श्यामबली के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। राजेन्द्र प्रसाद को श्यामबली द्वारा चोट पहुँचाए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण, अपीलार्थी श्यामबली को धारा 307 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि एवं दंड विधि सम्मत नहीं है। अपीलार्थी श्यामबली ने घायल साक्षी राजेन्द्र प्रसाद को कोई चोट नहीं पहुँचाई है और इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने श्यामबली को धारा 307 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध करने में अवैधता कारित की है।

25. पूर्वगामी कारणों से, अपील आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है। अपीलार्थी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अधिरोपित दोषसिद्धि एवं दंड को यथावत रखा जाता है। तथापि, अपीलार्थी श्यामबली पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत अधिरोपित दोषसिद्धि एवं दंड को अपास्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-	सही /-
टी.पी. शर्मा	एन.के. अग्रवाल
न्यायाधीश	न्यायाधीश
18-3-2010	18-03-2010

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By- अजय कुमार अग्निहोत्री अधिवक्ता